नियमावली

सत्रम्

2023-2024

राजकीय संस्कृत महाविद्यालयः
फागली, शिमलाः (हि.प्र.)

PROSPECTUS

Govt. Sanskrit College, Phagli, Shimla (H.P.)-171004
Phone: 0177-2835323
E-mail: sktshimla@gmail.com

''नत्वा सरस्वती देवीं ज्ञानरूपां सरस्वतीम् ।
सादरमभिनन्द्येऽहं गुरुन् तत्वगुणान्वितान् ।।''

महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास

'राजकीय संस्कृत महाविद्यालय (फागली) शिमला प्राच्यपद्धति द्वारा भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत अध्ययन की प्राचीनतम संस्था है। इस शिक्षण संस्था का शुभारम्भ सन् 1917 में श्री ब्राह्मण सभा द्वारा किया गया। उस समय श्री ब्राह्मण सभा ने संस्कृतविद्या के प्रचार एवं प्रसार की दिशा में महनीय योगदान किया एवं उनके नेतृत्व में इस संस्था का नाम श्री ब्राह्मण सभा संस्कृत महाविद्यालय शिमला रखा गया। इस संस्था ने दीर्घकाल से भारतीय संस्कृति के निर्वाहक एवं उच्चकोटि के विद्वान समाज को दिए, जिनमें इस संस्था को गौरवान्वित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजगुरु पूज्यपाद आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा अग्रगण्य रहे हैं, जो इस महाविद्यालय के विकास की उज्ज्वल पृष्ठभूमि है तथा 40 वर्षों तक इन्होंने इसी महाविद्यालय के प्राचार्य पद को अलंकृत किया।

सन् 1964 ईस्वी जून मास में इस महाविद्यालय का नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 पंडित जवाहर लाल नेहरु के देहावसान पर श्री ब्राह्मण सभा ने नेहरु जी के प्रति श्रद्धांजलिस्वरूप नेहरु संस्कृत महाविद्यालय शिमला रखा। 52 वर्षों तक इस महाविद्यालय का संचालन श्री ब्राह्मण सभा द्वारा किया गया तथा सन् 1969 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसका अधिग्रहण किया।

अपने दीर्घजीवनकाल में इस महाविद्यालय ने अनेक भवनों में अपने दिन व्यतीत किए। कभी कैथू में, कभी कृष्णानगर की मस्जिद में, कभी गंज बाजार में, कभी लक्कड़ बाजार में। अब विगत वर्षों से श्रमिक सदन (लेबर होस्टल) फागली में चल रहा है। सौभाग्यवश फागली में ही महाविद्यालय के लिए भवन निर्माण हो चुका है और कक्षांए इसी सत्र से आरम्भ हो रहीं है।

भारतीय संस्कृति की विरासत संस्कृत भाषा, जो भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में पिरोती है, इस भाषा का प्राच्यपद्धति से अध्ययन इस महाविद्यालय की एक विशेष पहचान है, जिसके कारण अपने शिमला प्रवास के समय स्व0 श्री जवाहर लाल नेहरु ने इस महाविद्यालय के छात्रों की प्रशंसा की थी।

इस महाविद्यालय से शिक्षित विद्वान देश के अनेक विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति का संरक्षण व पोषण, सदाचार, विनम्रता छात्रों का मुख्य ध्येय है।

आचार्य – वर्गाः

1. डॉ0 मुकेश शर्मा प्राचार्यः बी.एड. साहित्याचार्य (पी.एच.डी.)
2. डॉ0 पुरूषोत्तम सिंह आचार्य इतिहास
3. पूजा कश्यप सहआचार्या (अंग्रेजी) एम.ए. एम. फिल. (SLET)

4. सुमन लता साहित्याचार्यः आचार्य साहित्य UGC NET
5. डॉ० दिनेश शर्मा सह आचार्य (हिन्दी) एम.ए. (हिन्दी) पी.एच.डी.
6. विनोद कुमार दर्शनाचार्यः आचार्य दर्शन UGC NET
7. डॉ० सुनील दत्त ज्योतिषाचार्यः आचार्य ज्योतिष, पी.एच.डी.
8. डॉ अजय भारद्वाज व्याकरणाचार्यः आचार्य व्याकरण, UGC NET पी.एच.डी,
9. श्रीमती रोहिणी प्रवक्ता (इतिहास)– स्कूल संवर्ग एम.ए.

कार्यालयीय – कर्मचारिणः

1. श्री वेद प्रकाश अधिक्षक (ग्रेड – 11)
2. श्री टीका राम लिपिक
3. श्री वेद प्रकाश चतुर्थ श्रेणी
4. श्रीमती रानी देवी चतुर्थ क्षेत्री
5. श्रीमती रेवती चतुर्थ श्रेणी –

विशेषताएँ

1. हिमाचल प्रदेश सरकार तथा शिक्षा विभाग के सौजन्य से निर्मित महाविद्यालय का षड्तलीय नवीन भवन इसकी प्रमुख विशेषता है। जिसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजा वीरभद्र सिंह जी किया तथा 10मई 2022 को तत्कालीन शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज ने इसका शुभारम्भ किया।
2. मुख्य पुराना भवन फागली में स्थित पुरूष छात्रावास के रूप में व्यवस्थापित कर दिया गया है तथा वहाँ विधिवत् पुरूष छात्रावास का निर्माण निकट भविष्य में प्रस्तावित है। अनेक वर्षों से किराये के भवन में चल रहा फागली भवन अब छात्र – छात्रावास छात्रों के रहने योग्य बना दिया गया है।
3. महाविद्यालय का अपना दुर्लभ/सन्दर्भ ग्रन्थों से सुसज्जित लगभग – 8,000 पुस्तकों वाला विशाल पुस्तकालय प्राच्य विद्याओं के अध्येताओं तथा शोधकर्ताओं के लिए तीर्थ स्थल है।
4. वर्तमान में उच्चतम शिक्षा प्राप्त, योग्य, अनुभवी तथा संस्कृत – संस्कृति को समर्पित आचार्यवृन्द इस संस्थान की प्रमुख विशेषता है। गुरुजनों के गौरव को द्योतित करते अनुशासनबद्ध, विनम्र, मेधावी/परिश्रमी छात्र – छात्राएँ इस महाविद्यालय की अमूल्य निधि हैं। अतः इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र से इसकी गौरवमयी परम्परा को बनाये रखने की अपेक्षा की जाती है।
5. पांच स्मार्ट कक्षा कक्ष इसकी प्रमुख विशेषता है।

महाविद्यालय में प्रवेश के नियम

महाविद्यालय में प्राक् शास्त्री से शास्त्री तक की कक्षाएं हि.प्र. विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रारम्भ की जा रही हैं।

प्रवेश हेतू पात्रता :

1. मैट्रिक (दसवीं) संस्कृत एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण छात्र ही प्राक् शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश पा सकेगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की निश्चित तिथि से महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।
3. विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार प्रवेश की तिथि विलम्ब शुल्क देकर उस अवधि के भीतर भी छात्र प्रवेश पा सकता है।
4. प्रवेश के समय ही विद्यार्थी को रसीद लेकर सारे वार्षिक शुल्क (अपरिवर्तनीय या परिवर्तनीय) उसी समय जमा करने होंगे।
5. प्रवेश के समय दो पासपोर्ट फोटो देने होंगे।
6. शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए संस्कृत विषय में 10 +2 सहित / प्राक् शास्त्री – प्प पास होना अनिवार्य है।

प्रवेश निरस्त एवं अवकाश सम्बन्धी नियम

1. यदि कोई छात्र किसी अन्य संस्था में नियमित अध्ययन करता हुआ प्रमाणित होगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
2. जो छात्र प्रवेश स्वीकृत हो जाने पर प्रवेश सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी न करेगा, उसका प्रवेश निरस्त किया जाएगा।
3. यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में दस दिनों तक निरन्तर उपस्थित नहीं रहता तो उसका नाम कक्षा की सूची से काट दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को 100 / – रुपये देकर पुनः प्राचार्य से प्रवेश की अनुमति मिल सकती
   है। दो बार नाम कट जाने पर 200 / – रुपये देकर पुनः प्रवेश की अनुमति प्राचार्य एवं प्रवेश समिति करेगी।
4. यदि किसी विद्यार्थी का कक्षा में तीन बार नाम कट जाता है तो उसे पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. जो छात्र किसी आवश्यक कार्य या बीमारी की स्थिति में अवकाश पर जाते हैं उन्हें अवकाश हेतु प्रार्थना – पत्र महाविद्यालय कार्यालय में देना होगा अन्यथा नियमानुसार दण्ड शुल्क देना पड़ेगा। तीन दिनों से अधिक बीमारी के अवकाश हेतु चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
6. एक ही कक्षा में दो बार अनुत्तीर्ण छात्र उस कक्षा में प्रवष्टि नहीं किया जाएगा।
7. संस्कृत विषय के चारों पत्रों में अनुत्तीर्ण छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

'महाविद्यालयीय कक्षाएँ'

(क) प्राक् शास्त्री – प्रथम वर्ष (Annual system)
प्राक् शास्त्री – द्वितीय वर्ष (पुरानी प्रक्रिया वाला कोर्स)

(ख) शास्त्री – प्रथम वर्ष
शास्त्री – द्वितीय वर्ष (Annual system) (वार्षिक प्रणाली)
शास्त्री – पञ्चम / षष्ठ सत्र

(ग) आचार्य – प्रथम वर्ष
आचार्य – द्वितीय वर्ष

प्रवेशार्थ आवश्यक योग्यता

(क) प्राक् शास्त्री – १ में प्रवेश हेतु योग्यता :

1. हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण जिसे हि.प्र. विश्वविद्यालय ने मैट्रिक के समकक्ष माना हो ।

(ख) शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थ योग्यता :–

1. हि.प्र. विश्वविद्यालय में प्राक् शास्त्री – ८ परीक्षा उत्तीर्ण
2. हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से संस्कृत विषय सहित 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।
3. किसी भी संस्थान / विश्वविद्यालय से वह परीक्षा उत्तीर्ण जिसको हि.प्र. विश्वविद्यालय ने प्राक् शास्त्री – ८ के समकक्ष माना हो।
4. चरित्र प्रमाण पत्र (मूल रूप में)।
5. विद्यालय / महाविद्यालय त्याग का प्रमाण पत्र (मूल रूप में)।
6. अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी., आई.आर.डी.पी. आदि के छात्रों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित 2 प्रतियाँ।
7. नवीनतम फोटो (पासपोर्ट साईज तथा स्टैम्प साईज की दो – दो प्रतियाँ)।
8. आधार कार्ड की एक छायाप्रति

प्रवेश के समय अपेक्षित प्रमाण – पत्र

1. पूर्व व उत्तीर्ण परीक्षाओं के विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त प्रमाण – पत्र।
2. जन्म तिथि प्रमाण – पत्र (मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण – पत्र) की प्रति।
3. चरित्र प्रमाण – पत्र (पूर्व संस्था के मुख्याध्यापक या प्राचार्य द्वारा)।
4. दूसरे विश्वविद्यालय से सम्बन्ध छोड़कर हि.प्र. विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश लेने के लिए निष्क्रमण प्रमाण – पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट)।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, जनजाति, आई.आर.डी.पी., अन्त्योदय परिवार

से सम्बन्धित छात्रों को अपना शपथ–पत्र अधिवास (डोमिसाइल) पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

6. पाठ्येत्तर क्रीड़ा आदि प्रवीणता प्राप्ति का प्रमाण–पत्र (यदि कोई हो)।
7. उपर्युक्त प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां एवं पासपोर्ट साईज की दो फोटो साथ लाएं।
8. आधार कार्ड की छाया–प्रति आवश्यक रूप से प्रवेश फार्म के साथ लगाएं।

प्रवेश के समय देय शुल्क

विश्वविद्यालय शुल्क

विश्वविद्यालय की निधियां नए छात्रों से	रु. 32/–
विश्वविद्यालय की निधियां पुराने छात्रों से	रु. 10/–
विश्वविद्यालय विकास फण्ड/शुल्क	
IRDP/BPL	रु. 100/–
GEN.	रु. 250/–
नए छात्रों से विश्वविद्यालय में पंजीकरण करवाने का शुल्क	रु. 200/–
अन्य शुल्क अभिभावक शिक्षक निधि प्रति सत्र	रु. 800/–
परिचय एवं प्रवेश नियमावली शुल्क	रु. 50/–
1. कुल शुल्क सामान्य वर्ग के प्राक्–1	रु. 2070/–
2. कुल शुल्क आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 वर्ग के प्राक्–1	रु. 1920/–
3. कुल शुल्क सामान्य वर्ग के प्राक्–11 से पुस्तकालय शुल्क नहीं लिया जाएगा	रु. 1980/–
4. कुल शुल्क आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 वर्ग के प्राक्–11 से	रु. 1830/–
5. कुल शुल्क सामान्य वर्ग के शास्त्री प्रथम वर्ष से शास्त्री अंतिम वर्ष तक	रु. 2110/–
6. कुल शुल्क आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 वर्ग के शास्त्री प्रथम वर्ष से शास्त्री अन्तिम वर्ष तक	रु. 1960/–

नोट : क. दस जमा दो उत्तीर्ण होने के उपरान्त सामान्य वर्ग का छात्र शास्त्री प्रथम सत्र में प्रवेश लेता है तो उससे कुल शुल्क रु. 2020/–

ख. दस जमा दो उत्तीर्ण होने के उपरान्त आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 वर्ग का छात्र शास्त्री प्रथम सत्र में प्रवेश लेता है तो उससे कुल शुल्क रु. 1870/–

विशेष : सरकार एवं विश्वविद्यालय की अधिसूचनाओं के आधार पर समय–समय पर शुल्क एवं फण्ड परिवर्तनीय होंगे।

नोट : सुरक्षा धन के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि लौटाई नहीं जाती। सुरक्षा धन महाविद्यालय छोड़ने के दो वर्ष के भीतर प्रार्थना पत्र देने पर लौटाया जा सकता है।

अनुशासन

1. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों से अपेक्षित है कि वे महाविद्यालय में सदाचार व विनम्रता तथा भाईचारे का वातावरण बनाकर रखे।
2. महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों को महाविद्यालय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. यदि कोई छात्र महाविद्यालय में रैगिंग (अशिष्ट परिचय) करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी और उसका प्रवेश तत्काल निरस्त किया जाएगा।
4. कोई भी छात्र किसी प्रकार के अस्त्र – शस्त्र रखे हुए महाविद्यालय परिसर में पाया गया तो उसे तत्काल निष्कासित कर दिया जाएगा।
5. महाविद्यालय की सम्पत्ति को हानि पहुंचाना, भवन की दीवारों पर पोस्टर लगाना व अशोभनीय कुछ भी लिखना, अध्यापन में बाधा उत्पन्न करना, मादक द्रव्यों का प्रयोग, किसी बाहरी व्यक्ति को परिसर में लाना, प्राचार्य, आचार्यवर्ग व कर्मचारियों से अशोभनीय व्यवहार, परीक्षाओं में नकल करना, लड़ाई झगड़े में संलिप्तता आदि अनुशासनहीनता के कार्य हैं। इसमें दोषी पाए जाने वाले छात्रों को नियमानुसार दण्डित किया जाएगा।
6. महाविद्यालय में मोबाईल फोन लाना अनुशासन के विरूद्ध है। यदि छात्र को महाविद्यालय परिसर में मोबाइल पर गाने सुनते हुए पाया गया तो उसका मोबाईल फोन जब्त कर लिया जाएगा।
7. अनुशासनहीनता के न्यायिक निर्णय के लिए हि.प्र.वि.वि. के अध्यादेश 22.17 के अन्तर्गत दोषी छात्र पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

उपस्थिति नियम

1. महाविद्यालय में प्रत्येक कक्षा में छात्र की नियमित उपस्थिति आवश्यक है।
2. बिना लिखित प्रार्थना – पत्र के 10 दिन तक लगातार किसी भी कालांश (पीरियड) में अनुपस्थित रहने पर छात्र का नाम महाविद्यालय से निरस्त कर दिया जाएगा।
3. महाविद्यालय में सांस्कृतिक उत्सव व अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के समय छात्र की शत – प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. महाविद्यालय एवं वि.वि. द्वारा निर्धारित प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रम में जाने की सूचना छात्र नियन्त्रण पंजिका प्रभारी को लिखित प्रार्थना – पत्र में देनी होगी।
5. प्रत्येक छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर वह छात्र वार्षिक परीक्षा में हि.प्र. विश्वविद्यालय के अनुच्छेद 62के अन्तर्गत बैठने का अधिकारी नहीं होगा। अतः प्रत्येक

छात्र को 75 प्रतिशत उपस्थितियां वि.वि. की परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्य है। (इन्टर्नल असैस्मैंट) अन्तः मूल्यांकन में 5 प्रतिशत अंक उपस्थितियों के आधार पर दिए जाएंगे। अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रति कालांश (पीरियड) एक रुपया अनुपस्थिति दण्ड देना होगा। यह व्यवस्था लगातार नौ दिनों तक की अनुपस्थितियों के लिए होगी, दस दिनों की अनुपस्थितियां होने पर विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा।

परिचय पत्र

1. महाविद्यालय नियमित छात्रों को परिचय पत्र प्रदान करता है, जिसमें प्रविष्ट छात्रों का सम्पूर्ण विवरण, उनके छायाचित्र के साथ अंकित रहता है। परिचय पत्र प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होता है।
2. महाविद्यालय परिसर में सभी विद्यार्थियों के पास अनिवार्य रूप से परिचय पत्र होना चाहिए।
3. महाविद्यालय के किसी भी छात्र से किसी भी समय प्राचार्य, प्राध्यापक वर्ग द्वारा परिचय पत्र

दिखाने को कहा जा सकता है। यदि किसी छात्र का परिचय पत्र गुम हो जाता है तो वह प्राचार्य को लिखित सूचना देकर प्राचार्य की अनुमति से 15/– रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करके कार्यालय से पुनः प्राप्त कर सकता है। संस्कृतेतर विषयों का पाठ्यक्रम हिप्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10+2 कक्षा की तरह होगा।

पाठ्यक्रम तथा विषय चयन

शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण स्नातकों को आधुनिक विषयों के ज्ञान के साथ–साथ HAS/IAS जैसी

प्रतियोगी परीक्षाओं में योग्य बनाने, संस्कृत अध्यापक/प्राध्यापकों के अतिरिक्त विभिन्न

क्षेत्रों में सेवा तथा रोजगार का पात्र बनाने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित शास्त्री/विशिष्ट शास्त्री के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा 'नवीन अध्ययन प्रक्रिया' रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत शास्त्री अन्तिम वर्ष तक सिस्टम एक बहुआयामी नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में छात्रों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा।

(1) प्राक् शास्त्री भाग–I तथा प्राक् शास्त्री–II (पुरातन प्रक्रिया के अनुसार) की कक्षाओं में निम्न विषय निर्धारित हैं–

(क) एक से चार पत्र – संस्कृत के विभिन्न विषय (अनिवार्य)
(ख) पञ्चम पत्र – अंग्रेजी (ऐच्छिक)
(ग) षष्ठ पत्र – हिन्दी/राजनीति शास्त्र/इतिहास (अतिरिक्त ऐच्छिक)

(2) प्राक् शास्त्री भाग–I तथा प्राक् शास्त्री–II कक्षाओं में 20 अंक आन्तरिक मूल्यांकन तथा 80 अंक वार्षिक परीक्षा के होंगे। इन कक्षाओं के संस्कृतेतर विषयों का पाठ्यक्रम हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10+1, 10+2 के समान होगा। इनमें प्रविष्ट छात्र को सामान्यतः उत्तीर्ण होना आवश्यक है, लेकिन छात्रों का उत्तीर्ण–अनुत्तीर्ण तथा कम्पार्टमैन्ट परिणाम केवल संस्कृत विषयों के आधार पर ही होगा। अग्रिम कक्षा के परिणाम से पूर्व छात्रको पिछली कक्षा के संस्कृतेतर विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(3) रूसा प्रक्रियानुसार शास्त्री प्रथम वर्ष से शास्त्री तृतीय वार्षिक सत्र का पाठ्यक्रम चयन मेजर–व्याकरण और साहित्य जिनके दो–दो पेपर तथा दर्शन वेद तथा ज्योतिष तीन विषयों में से दो विषयों का चयन अभिरूचि के अनुसार विद्यार्थी को करना है। इन दो विषयों के भी दो–दो पेपर होगें।
(क) अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम B.A. के समान है इस विषय का एक पेपर होगा।
(ख) हिन्दी अथवा राजनीति शास्त्र में से एक विषय चयन करना है इसका पाठ्यक्रम भी B.A. के समान है। इन विषयों का भी एक–एक पेपर होगा।

(4) प्राक् शास्त्री–I/प्राक् शास्त्री–II में परीक्षा का माध्यम हिन्दी भी हो सकता है लेकिन शास्त्री प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष तक तथा आचार्य कक्षाओं में परीक्षा/प्रश्न पत्रों का माध्यम संस्कृत ही होगा।

पाठ्यक्रम विवरण

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्राक्शास्त्री एवं शास्त्री कक्षाओं तक पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है :

प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष

प्रथम पत्र : व्याकरण
(वरदराज कृत लघु सिद्धान्त कौमुदी)

द्वितीय पत्र : काव्यनाटक
(क) रघुवंश प्रथम–द्वितीय सर्ग
(ख) स्वप्नवासवदतम्

(ग) वृत्तरत्नाकार

तृतीय पत्र : रचनानुवाद तथा गद्य – पद्य

(क) संस्कृत वाक्य रचना एवं अनुवाद
अनुवाद चंद्रिका – चक्रधार नौटियाल

(ख) हितोपदेश – मित्रभदे व सुहृदभेद

चतुर्थ पत्र : दर्शना तथा उपनिषद

(क) अन्नभट्टकृत तर्क – संग्रह

(ख) श्रीमद्भगवद्गीता – प्रथम तथा द्वितीय अध्याय

(ग) ईशोपनिषद्

पंचम पत्र : अंग्रेजी (केवल विशिष्ट शास्त्री के लिए) (अतिरिक्त ऐच्छिक)

षष्ठ पत्र : हिन्दी अथवा इतिहास अथवा राजनीति विज्ञान

नोट : उपरोक्त दोनों पंचम व षष्ठ पत्र का पाठ्यक्रम हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड की ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम के समान होगा।

महाविद्यालयीय उपाधियों की समकक्षता

1. प्राक् शास्त्री प्रमाण पत्र 10+2 के समान शास्त्री डिग्री बी.ए. कला (बी.ए. ऑनर्स विद् क्लासिक्स)(बी.ए. ऑनर्स संस्कृत के समान) आचार्य(स्नातकोत्तर डिग्री) एम.ए. संस्कृत के समान
2. शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार ने 1964 तथा हिमाचल सरकार ने 1967 में अधिसूचनाएं जारी करके शास्त्री को बी.ए. तथा आचार्य को एम.ए. संस्कृत के समकक्ष घोषित किया है। माननीय उच्च न्यायालय एवम् उच्चतम न्यायालय ने भी इस समकक्षता को अनुमोदित किया है।
3. हि.प्र. विश्वविद्यालय ने प्राक् शास्त्री – II की परीक्षा को बोर्ड की 10+2 के समकक्ष घोषित किया है तथा विश्वविद्यालयानुसार शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण छात्र सीधे एम.ए. संस्कृत में प्रवेश का अधिकारी है।
4. हि.प्र. विश्वविद्यालय ने शास्त्री के पश्चात् आचार्य उत्तीर्ण छात्र को सीधे एम.फिल./पी.एच.डी. में प्रवेश काु अधिकारी माना है।

वार्षिक परीक्षा एवम् अनिवार्य गृह परीक्षा

1. प्राक् शास्त्री – I से प्राक् शास्त्री – II तथा आचार्य की सभी वार्षिक परीक्षाओं तथा End Semester Examination का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा ही होता है। वार्षिक

परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म फरवरी प्रथम सप्ताह में तथा समैस्टर परीक्षाओं के फार्म विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में व्द सपदम सिस्टम से भरे जाते हैं।

2. प्रत्येक परीक्षा के फार्म भरने हेतु समैस्टर/वार्षिक प्रक्रिया में कक्षा में कुल उपस्थितियों का 75 प्रतिशत होना आवश्यक है। ऐसा न होने की स्थिति में उसका फार्म अन्तिम परीक्षा
हेतु नहीं भेजा जा सकेगा।

3. वार्षिक प्रक्रिया में किसी भी कक्षा में कम्पार्टमेंट छात्र अक्तूबर मास में अनुपूरक (सप्लिमैंटरी)
परीक्षा में बैठ सकता है। कम्पार्टमैन्ट के साथ अंग्रेजी आदि अतिरिक्त (अनुत्तीर्ण) विषयों क ी
परीक्षा भी दी जा सकती है।

4. प्राक् शास्त्री–I तथा शास्त्री–I में नए प्रविष्ट छात्रों को विश्वविद्यालय में पञ्जीकरण (रजिस्ट्रेशन) करवाना आवश्यक है। इन सभी छात्रों के प्रवेश के समय मैट्रिक/10+2 संस्कृत
सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

5. किसी भी बाहरी बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रवेश लेने वाले छात्र को उक्त
विश्वविद्यालय/बोर्ड से माईग्रेशन प्रमाण पत्र लाकर देना आवश्यक है तभी हि.प्र. विश्वविद्यालय में उसका पञ्जीकरण होगा। पञ्जीकरण होने पर ही उसका प्रवेश स्थायी होगा।

6. महाविद्यालय में प्रविष्ट छात्र को समय–समय पर साप्ताहिक/ मासिक/आवश्यक गृह परीक्षाओं में भाग लेना आवश्यक है। उसी के आधार पर उसकी अन्तः मूल्यांकन (Assessment) भेजी जा सकेगी। जो वार्षिक परीक्षाओं में 20 अंक तथ समैस्टर प्रक्रिया
में 30/50 अंक प्रति विषय होगी। इन परीक्षाओं में अनुपस्थित छात्र तथा एसेस्मैंट में अनुत्तीर्ण छात्र वार्षिक परीक्षा में बैठने के अधिकारी नहीं होंगे।

7. प्रत्येक कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति वाले छात्र को वार्षिकोत्सव में विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।

केन्द्रीय छात्र परिषद्

महाविद्यालयीय केन्द्रीय छात्र परिषद् (CSA)"संस्कृत–संस्कृति छात्र कल्याण परिषद्"का गठन विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सत्र के प्रारम्भ में निर्धारित तिथि को किया जाता है।

छात्रों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करने, कलात्मक प्रतिभा विकास, शारीरिक सौष्ठव, बौद्धिक – मानसिक – चारित्रिक विकास तथा छात्र – कल्याण के उन्नयन हेतु इस छात्र परिषद् का गठन किया जाता है। इसके तत्त्वावधान में पाक्षिक/मासिक छात्र संगोष्ठियाँ, वार्षिक क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें समस्त छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के पश्चात् ही चुनाव/सर्वसम्मति से केन्द्रीय छात्र परिषद (CSA) का गठन होगा।

प्राध्यापक अभिभावक संघ (PTA)

महाविद्यालयीय प्राध्यापकों तथा छात्रों के अभिभावकों (माता – पिता) के सामूहिक संगठन 'प्राध्यापक अभिभावक संघ' (PTA) का गठन प्रतिवर्ष छात्रों के प्रवेश के तुरन्त पश्चात् किया जाता है जो निरन्तर सहयोग के साथ – साथ महाविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी को भी पूरा करता रहा है ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो सके। प्रवेश के तत्काल पश्चात् इसका गठन करके महाविद्यालय/छात्र हित में इसके सहयोग की अपेक्षा रहेगी।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

महाविद्यालय में भी अन्य संस्कृत तथा डिग्री महाविद्यालयों की तरह गत सत्र 2013 – 14 से 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (रूसा) समैस्टर प्रणाली की महत्वाकांक्षी योजना छात्र हित तथा शिक्षा के समुचित विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित शास्त्री – I कक्षा से प्रारम्भ की गई है। प्राध्यापकों तथा व्यवस्थागत न्यूनताओं के रहते हुए भी छात्र हित में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है तथा विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा भी प्राध्यापकों तथा व्यवस्थाओं को सुनियोजित करने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा रहा है।

पाठ्येतर गतिविधियाँ क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ

1. छात्रों में पारस्परिक सद्भाव के साथ – साथ प्रतिस्पर्धात्मक भावना को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों, सामाजिक, वैयक्तिक तथा चारित्रिक विकास की दृष्टि से समस्त छात्रवृन्द को पाणिनि, पतञ्जलि, कालिदास और व्यास सदनों में विभाजित करके विभिन्न क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में सकारात्मक रूप से जोड़ा जाता है। सदनानुसार क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ अक्तूबर तथा भाषणादि सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ नवम्बर मास में आयोजित की जाएंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालयीय क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ उनके द्वारा निर्दिष्ट तिथियों में आयोजित होंगी।
3. अन्य महाविद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों/राज्यों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में पात्र छात्रों को भाग ग्रहणार्थ प्रेषित किया जाता है।
4. क्रीड़ा गतिविधियों में वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिन्टन, क्रिकेट, एथलैटिक्स आदि की

समुचित व्यवस्था विद्यमान है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने की व्यवस्था है।

5. सभी प्रथम/द्वितीय आने वाले छात्रों को वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है।

महाविद्यालयीय अनुशासन तथा तत्सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय में किसी भी कालांश (पीरियड) प्रार्थना सहित में लगातार 10 दिन अनुपस्थित रहने वाले छात्र का नाम महाविद्यालय से काट दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में पिता–माता की व्यक्तिगत उपस्थिति तथा 100/– पुनः प्रवेश शुल्क तथा दूसरी बार 200/–के साथ अतिरिक्त विशेष दण्ड के साथ ही पुनः प्रवेश मिल सकेगा।
2. महाविद्यालय/छात्रावास परिसर में मदिरा आदि मादक पदार्थों का सेवन या अपने पास रखना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे छात्र को तत्काल निष्कासित करके अग्रिम कार्यवाही हेतु उसके घर तथा पुलिस को सूचित कर दिया जाएगा।
3. किसी भी अन्य छात्र की रैगिंग करने/उसमें सहयोग करने/ उसमें शामिल होने या बाहरी छात्रों/व्यक्तियों को कॉलेज/छात्रावास में लाने तथा बाहर अथवा भीतर अनपेक्षित गतिविधियों में शामिल होने पर छात्र/छात्रा को तत्काल कॉलेज/छात्रावास से निष्कासित करके कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
4. कक्षा तथा महाविद्यालय परिवेश में मोबाइल लाना/रखना/करना/सुनना अनुशासनहीनता माना जाएगा। मोबाइल जब्त होने पर अर्थदण्ड सहित कार्यवाही की जाएगी।
5. नाम कटने/अनपेक्षित गतिविधि/गृह–वार्षिक परीक्षाओं की रिपोर्ट माता–पिता को समयानुसार प्रेषित की जाएगी।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

1. सत्र प्रारम्भ होते ही सभी कक्षाओं के छात्र पुस्तकालय में उपलब्धता के आधार पर पाठ्यक्रम सम्बन्धी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें 15 दिन में वापिस या (Renew) करवाना आवश्यक होगा अन्यथा 5/– प्रतिदिन (प्रति पुस्तक) के आधार पर दण्ड लगेगा।
2. छात्र अध्ययन हेतु अन्य पुस्तकें भी ले सकता है जिन्हें समय पर वापिस करना आवश्यक होगा। सन्दर्भ/दुर्लभ पुस्तकें पुस्तकालय में ही पढ़ी जा सकेंगी।
3. वार्षिक परीक्षा से पूर्व सभी पुस्तकें पुस्तकालय में जमा करवानी होंगी।
4. सत्र समाप्ति के एक वर्ष के भीतर पुस्तकालय रक्षाधन वापिस लिया जा सकेगा। तत्पश्चात् इसे लैप्स माना जाएगा तथा वापिस नहीं होगा।
5. पुस्तकों को स्वच्छ, सजिल्द रखना छात्र का दायित्व होगा। कटने/फटने/गन्दा करने की अवस्था में नई पुस्तक या पुस्तक का वर्तमान मूल्य दण्ड सहित देय होगा।

पुरस्कार वितरण समारोह

महाविद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह मार्च मास के तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाता है जिसमें निम्न छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है: –

1. विश्वविद्यालय की मैरिट में स्थान पाने वाले छात्र ।
2. वार्षिक परीक्षा एवम् अनिवार्य गृह परीक्षा में प्रथम – द्वितीय आने वाले छात्र ।
3. महाविद्यालय की वार्षिक सदनानुसार वॉलीबॉल आदि क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय स्थान पाने वाले तथा सर्वोत्तम क्रीड़क का स्थान पाने वाले छात्र ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजिय तथा अन्तर्राज्यीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में स्थान पाने वाले छात्र
5. प्रत्येक कक्षा/छात्रावास में सर्वाधिक उपस्थिति तथा सर्वोत्तम अनुशासित छात्र ।
6. महाविद्यालयीय पत्रिका, सामाजिक कार्य, स्वच्छता, रक्तदान, वन महोत्सव आदि कार्यों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले छात्र ।
7. विभिन्न महाविद्यालयीय कार्यों में सर्वोत्तम सहयोग/कार्य करने वाले छात्र ।
8. पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग करने वाले छात्र ।
9. शास्त्री अन्तिम वर्ष के सर्वतोभावेन – सर्वोत्तम छात्र – छात्रा ।
10. वर्ष भर में सत्य निष्ठा, इमानदारी, समर्पण से छात्रहित/महाविद्यालय हित में काम करने वाले प्राध्यापक ।
11. सर्वोत्तम परिणाम देने वाले प्राध्यापक ।
12. विशिष्ट संस्कृत विद्वान तथा अतिथि ।

वर्षपर्यन्त के विशेष कार्यक्रम

1. सत्र शुभारम्भ महोत्सव – जुलाई प्रथम सप्ताह
2. संस्कृत दिवस – श्रावणी पूर्णिमा को
3. हिन्दी दिवस – 14 सितम्बर
4. शास्त्री – I, शास्त्री – II, शास्त्री – III की अन्तिम परीक्षा (वि.वि. द्वारा घोषित डेटशीट के अनुसार)
5. सदनानुसार सांस्कृतिक, क्रीड़ा प्रतियोगिताएं दिसम्बर या फरवरी
6. गीता जयन्ती गीता जयन्ती दिवस पर
7. प्राक् शास्त्री – I, II की अनिवार्य गृह परीक्षा दिसंबर तृतीय सप्ताह
8. शैक्षणिक भ्रमण (शास्त्री – III वर्ष) दिसम्बर चतुर्थ सप्ताह
9. वार्षिक पारितोषिक वितरणोत्सव मार्च तृतीय सप्ताह

10. शास्त्री अन्तिम वर्ष (विदाई समारोह) शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर उक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/अन्य राज्यों द्वारा आयोजित क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं उनकी निर्दिष्ट तिथि के अनुसार होंगी। अन्य

राष्ट्रीय/सामाजिक/सांस्कृतिक

कार्यक्रम/सेमिनार/संगोष्ठियाँ/वन महोत्सव/रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रम यथासमय आयोजित किए जाएंगे।

कक्षा प्रभारी तथा उनके कार्य

प्रवेश पत्र–निरीक्षण एवं संस्तुति/प्रवेश–त्याग पञ्जिका/परिचय पत्र /अनुशासन / छात्रवृत्ति / गृह परीक्षा / वार्षिक परीक्षा/ अनुपस्थिति दण्ड / सामूहिक प्रार्थना / वेशभूषा आदि कार्य

1. सत्यापन समिति
   1. प्रो० पूजा कश्यप
   2. डॉ० सुनील दत्त
   3. डॉ० अजय भारद्वाज
   4. प्रो० सुमन लता

2. स्मार्ट क्लास रूम देखरेख समिति
   1. डॉ० सुनील दत्त
   2. डॉ० अजय भारद्वाज

3. खेलकूद एवं सांस्कृतिक समिति
   1. डॉ० अजय भारद्वाज
   2. प्रो० सुमन लता

4. छात्रावास व्यवस्था समिति
   1. डॉ० दिनेश शर्मा
   2. डॉ० सुनील दत्त
   3. डॉ० अजय भारद्वाज

5. पुस्तकालय व्यवस्था समिति
   1. डॉ० दिनेश कुमार
   2. प्रो० सुमन लता
   3. डॉ० सुनील दत्त

6. प्रवेश समिति
   1. डॉ० सुनील दत्त
   2. डॉ० अजय भारद्वाज
   3. प्रो० सुमन लता

7. उपस्थिति देख रेख नोडल अधिकारी
   1. प्रो० पूजा कश्यप

8. NAAC/IQAC
   1. डॉ० दिनेश कुमार
   2. प्रो० पूजा कश्यप
   3. डॉ० दिनेश शर्मा
   4. वेद प्रकाश अधीक्षक

9. पत्रिका मुख्य सम्पादक
   1. डॉ० दिनेश शर्मा (दर्शनाचार्य)
   2. डॉ० दिनेश कुमार (हिन्दी)
   3. प्रो० पूजा कश्यप (अंग्रेजी)
   4. डॉ० अजय भारद्वाज (संस्कृत)

10. OSA
   1. डॉ० दिनेश शर्मा
   2. सुनील दत्त

11. महिला प्रकोष्ठ

1. प्रो० पूजा कश्यप
2. रोहिणी चौहान

12. रेडक्रॉस मेडिकल

1. डॉ० सुनील दत्त

13. रोवर व रेन्जर

1. डॉ० अजय भारद्वाज

14. कैरियर कोन्सिल

1. प्रो० सुमन लता

15. प्लेसमैट सेल

1. रोहिणी चौहान
2. प्रो० पूजा कश्यप

16. युवा पर्यटन प्रकोष्ठ

1. डॉ० दिनेश कुमार

17. नशा निवारण

1. डॉ० अजय भारद्वाज
2. प्रो० पूजा कश्यप

18. एंन्टी रेगींग

1. डॉ० दिनेश शर्मा (दर्शनाचार्य)

19. NSS/PTA/AISHE

1. डॉ० दिनेश कुमार

20. छात्रवृति

1. डॉ० दिनेश शर्मा

21. अनुशासन

1. डॉ० दिनेश शर्मा
2. प्रो० सुमन लता

22. सेल्फ फाइनेंस व्यवस्था

1. डॉ० सुनिल दत्त
2. डॉ० दिनेश कुमार

23. छात्र संघ

1. डॉ० अजय भारद्वाज

24. रोड़ सेफ्टी क्लब

1. डॉ० अजय भारद्वाज

25. ECO Club

1. रोहिणी चौहान

26. कक्षा प्रभारी

शास्त्री प्रथम	डॉ० सुनील दत्त
शास्त्री द्वितीय	प्रो० सुमन लता
शास्त्री तृतीय	डॉ० अजय भारद्वाज
प्राक – I व II	रोहिणी चौहान